FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

गुरबचन सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 55/19 एवं 2019/00090

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19.11.19	आज यह पत्रावली तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त पत्रांक २७०४ दिनक १४.११.२०१९ के द्वारा प्राप्त होने पर पेशी म ली गयी प्रार्थी द्वारा पटवारी रिपोट व् प्राथना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की चक 3 केवाईडी ए के मु no २१६/५५ का ७.१० बीघा मु no २१६/६३ का ५.१६ बीघा व् मु no २१६/६४ का १६.०० बीघा कुल २९.०६ बीघा भूमि रहन पिएनबी शाखा दज है जिसमे प्रार्थी का नाम गुरबचन सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह है प्रार्थी ने गुरुबचन सिंह के स्थान पर गुरबचन सिंह बराड कर लिया है तथा प्रार्थी के द्वारा आधार काड राशन काड भामाशाह काड व् दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश म प्रकाशित विज्ञप्ति व् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है पत्रावली का अवलोकन किया गया है पत्रावली म उपलब्ध दस्तावेज म प्रार्थी द्वारा अपना नाम गुरुबचन सिंह बराड अंकित किया गया है अतः प्रार्थी के प्राथना पत्र अनुसार व् तहसीलदार की अनुशंषा अनुसार प्रार्थी का नाम गुरुबचन सिंह के स्थान पर गुरुबचन सिंह बराड लिखा व् पढ़ा जावे अलग से आदेश जरी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	